REACH Lilly MDR-TB Partnership Media Fellowship Programme

2012-13 FELLOW : SUDEEP KUMAR

Sudeep Kumar *is based in Bhopal in Madhya Pradesh and currently working as City Reporter at the Hindi daily Patrika, a publication of the Rajasthan Patrika Group. In 2012, Sudeep was awarded the prestigious Vikas Samvad Fellowship for focusing on 'tribal health and traditional knowledge'. Sudeep has also been given the 'Rajasthan Patrika Monthly Journalist Award' three times as well as the 'Youth Journalist Award 2012' by Working Journalist Association for Youth, Bhopal.*

जानकारी न देने पर पंजीयन होगा निरस्त

टीबी के निजी अस्पतालों में इलाज निगरानी की तैयारी

सुदीप सिन्हा @ भोपाल

टीबी के मरीजों की जानकारी प्राइवेट क्लिनिक व नर्सिंग होम द्वारा नहीं दिया जाना अब महंगा पड़ सकता है। शिकायत मिलने पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित नर्सिंग होम या क्लिनिक का पंजीयन निरस्त हो सकता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सभी निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे सीएमएचओ या जिला क्षय अधिकारियों को निजी अस्पताल में आने वाले टीबी मरीजों की जानकारी दें।

नहीं मिल पाते सही आंकड़ें

प्रदेश में चुनौतित राष्ट्रीय क्षय कार्यक्रम 2004 से लागू है। इसके तहत हर जिले व तहसील स्तर पर क्षय के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। कई बार लंबी खांसी होने के बाद कई मरीज प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाते हैं अथवा मेडिकल दुकानों से दवा लेकर उसका सेवन करते हैं। ऐसे में टीबी मरीजों की सही जानकारी स्वास्थ्य विभाग तक नहीं पहुंच पाती है और शासन को टीबी मरीजों के सही आंकड़ें नहीं मिल पाते हैं।

प्राइवेट से मिले 3447 मरीज

गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पिछले तीन माह में प्रदेश में 3447 ऐसे मरीज मिले हैं, जिनका इलाज प्राइवेट अस्पतालों में हो रहा था।

गजट नोटिफिकेशन जारी

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 7 मई 2012 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर प्राइवेट अस्पतालों को निर्देशित किया है कि वे अपने यहां आने वाले मरीज के बारे में स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दें। ऐसा न करने पर शासन के निर्धारित मापदंड के आधार पर निजी नर्सिंग होम और क्लिनिक पर कार्रवाई करते हुए उसका पंजीयन निरस्त करने का प्रावधान है।

सरकारी स्तर पर प्रदेश में जगह-जगह डाट्स सेंटर है, जहां टीबी मरीज का बेहतर और निःशुल्क इलाज हो सकता है। इसके बावजूद प्राइवेट अस्पतालों में भी कई लोग इलाज करवाते हैं, इस संबंध में सभी सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं कि वे प्राइवेट अस्पतालों में ऐसे मरीजों की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई करें।

एवी जोशी, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण

शासन का आदेश मिल चुका है, जिसमें निजी नर्सिंग होम या क्लिनिक को टीबी के मरीजों की जानकारी देने को कहा गया है।

डॉ. मनोज वर्मा, जिला क्षय अधिकारी

पत्रिका

नवजातों में फैल रहा टीबी का संक्रमण

जिले के 12 फीसदी बच्चे टीबी से ग्रसित

- बीसीजी का टीका और आईसोनियाजेड दवा है कारगर इलाज
- जनवरी 2011 से दिसंबर 2012 तक बच्चों में टीबी से पीड़ित
- जिले में वर्ष 2008 से अभी तक मरीजों की संख्या 4405
- 2012 में रहा सबसे 5000 से ज्यादा

REACH
SPEAK UP TO STOP TB
the Lilly MDR-TB partnership